फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

मुरली आदि बनाम राज. सरकार

वाद

मुकदमा नम्बर :– 74/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	25/11/24	प. वादी उपस्थित अधिवक्ता वादी की ओर से बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन/ आदेश हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो। [signature]
	27/11/24	प. वादी उपस्थित विवादित भूमि राजकीय भूमि होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–74/2017

उनवान

1. मुरली पुत्र प्रभात
2. गंगाराम पुत्र प्रभात
3. अर्जुनलाल पुत्र प्रभात
4. गोपाल पुत्र प्रभात
5. भैरु पुत्र नारायण
6. नन्छू पुत्र नारायण
7. भगवान सहाय पुत्र नारायण
8. राकेश पुत्र सुगलचन्द
9. उपराव पुत्र सुगलचन्द
10. मन्जू पुत्री सुगलचन्द
11. राजू पुत्र सुगलचन्द
12. कस्तुरी पत्नी स्व0 सुगलचन्द पुत्र नारायण

समस्त जातियान् अहीर, निवासीयान ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत खेजरोली, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जरिये सचिव ग्राम पंचायत खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती अभिलेख व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 27.11.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि कृषि भूमियां हाल खसरा नम्बर 5692 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 5693 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 5690 रकबा 0.06 है0, कुल रकबा 0.49 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का अश या भाग हैं, वाके ग्राम खेजराली–ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिस पर वादीगण पुस्तैनी रुप से काबिज काश्त है तथा निरन्तर बजमाने जागीर से कृषि उत्पन्न कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। जिस कारण इस वाद में केवल हाल खसरा नम्बर 5692, 5693, 5690 ही वादग्रस्त है। उक्त वादग्रस्त भूमियां पूर्व में हाल कृषि भूमियां खसरा नम्बर 5689, 5688 जिसके साबिक खसरा नम्बर 2[illegible] का [illegible] थी, जिनकी सिंचाई कूप साबिक खसरा नम्बर 2896 जिसके हाल खसरा नम्बर 5695 [illegible] होती थी, लेकिन साबिक पैमाईस के दौरान साबिक खसरा नम्बर 2895 का नक्शा काट कर उत्तरी हिस्सा साबिक खसरा नम्बर 2903 में शामिल कर दिया और सिवायचक गैर मुमकिन ढाणी अंकित कर दिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]कि गैर मुमकिन ढाणी केवल 1 बीघा 4 बिस्वा के करीब थी, जिसका रकबा बढाकर 3 [illegible]घा 2 बिस्वा कर दिया, जबकि साबिक खसरा नम्बर 2903 का पूर्वी हिस्सा रकबा एक बीघा 18 बिस्वा कभी भी ढाणी नहीं रहा और ना ही आज है। वादग्रस्त नम्बरान् की सिंचाई उक्त कृप हाल खसरा नम्बर 5697 से हो रही हैं, तो तथ्य हाल पैमाईश सम्वत् 2043 अर्थात् सन् 1985 से स्पष्ट साबित है तथा वादग्रस्त भूमि कि किस्म भी जमाबन्दी में चाही – प्रथम (अब्बल) व जाव अब्बल अंकित हैं, जो 30–32 साल पहले से हैं। इससे पहले भी वादग्रस्त भूमियों में हमेशा से वादीगण के पूर्वज व उनके वाद वादीगण काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, इनका रिकॉर्ड साबिक पैमाईश में पैमाईश कर्मियों द्वारा गलत बनाकर वादीगण की पुश्तैनी भूमियों को तथाकथित ढाणी में शामिल कर दी थी, जबकि साबिक खसरा नम्बर 2903 के केवल पश्चिमी भाग में ही ढाणी स्थित थी जो आज भी स्थित हैं और उसका हाल खसरा नम्बर 5691 हैं। इस प्रकार वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमियों को साबिक खसरा नम्बर 2903 में शामिल करने की भारी भूमि की हैं, जिस कारण वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि उक्त त्रुटि को दुरुस्त करावें अन्यथा अनेक प्रकार की कठिनाईयां वादीगण के सामने उपस्थित हो जायेगी। उक्त त्रुटि हेतु श्रीमान् तहसीलदार चौमूं से सम्पर्क किया तो उन्होने कहा कि यह त्रुटि दौराने पैमाईश की है, जिसे दुरुस्त करने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, जिस कारण यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। साबिक पैमाईश के समय राज्य की शासन व्यवस्था में परिवर्तन का समय था तथा जगीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया जा रहा था, जिस कारण तत्कालीन जागीरदार उन्मूलन प्रक्रिया को विरोध कर रहे थे और आन्दोन हो रहे थें तथा साबिक मैमाइस का भी घोर विरोध कर रहे थें। जिस कारण पैमाईस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उल्टा, सीधा राजस्व रिकॉर्ड बना दिया गया। उस समय काश्तकार भी भूमियों के पैमाइस की गलतियों के बारे में नही समझता था तथा मुख्य रुप से कभी अशिक्षित व पैमाइस रिकॉर्ड के मामले में अनसमझ थे, जो रिकॉर्ड जैसा बना दिया गया चलता रहा और काश्तकार केवल काबिज रहकर काश्त करता रहा। लेकिन वर्तमान समय में जमीनों के भाव बढ जाने के कारण भूमाफिओं महोल बढ गया तथा भूमियों के किसी प्रकार के विवाद होने पर वे उन भूमियों को किसी भी प्रकार हथियाने के लिए साजिश शुरु कर देते है, वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में कुछ भूमाफियां लोगों ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने की चेष्टा करने लग गये थे, जिसका वादीगण को पता चला तो वादीगण ने ग्राम [illegible] को लीगल नोटिस दिया तथा निवेदन किया कि किसी [illegible] के लिए अनापत्तिक प्रमाण पत्र वगै0 जानी नहीं करें क्यों कि वादीगण इन भूमियों [illegible] सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहते [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5692 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 5693 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 5690 रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 0.49 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का अंश व भाग हैं, वाके ग्राम खेजरोली–ए का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध फरमावें कि वे वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकॉर्ड की आज की यथास्थिति कायम रखें तथा किसी प्रकार स्वयं या अपने अधीनस्थ के जरिये कर्मचारियों के माध्यम से परिवर्तन न करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अनुसार वाके ग्राम खेजरोली के आ0ख0नं0 5692 रकबा 0.17 है0 किस्म चाही, खसरा नम्बर 5690 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 5693 रकबा 0.26 है0, गै0मु0चाह 5697 क द्वारा सिंचित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज है। वर्तमान खसरा नम्बर 5690, 5691, 5692, 5693 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.78 है0 साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.78 है0 किस्म गै0 मु0ढाणी से बने है। जमाबन्दी संवत् 2011 से 2033 खसरा नम्रब 2903 रकबा 3.2 बीघा खुद काबिज बिना लगानी खाता संख्या 927 पर दर्ज है। वर्तमान खसरा नम्बर 5690, 5692, 5693 किता 3 का कुल रकबा 0.49 है0 के बारे में पुछताछ में मौत बिरानों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर पर वादी गणेश के साथ अन्य लोग यहां निवास करते थे जो वर्तमान में अन्य स्थानो पर बस गये है। वर्तमान खसरा नम्बर 5691 रकबा 29 किस्म गै0मु0 आबादी पर आबादी बसी हुई है। तथा खसरा नम्बर 5690, 5692, 5693 किता 3 कुल रकबा 0.49 पर वादीगणों का कब्जा काश्त है जो कई वर्षो से चल रहा है। तथा उक्त खसरा नम्बर पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के अपील संख्या 208/2018 के जरिये मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थित ता दौरान वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी है।

वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश कि गई। लिखित बहस अनुसार वादीगण ने कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात खसार नम्बर 5692, 5693, 5690 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0 में स्थित है, उक्त विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 2903 है। उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण पुश्तैनी काबिज ... है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है तथा वादीगण अपने नलकूप जो कि खसरा नम्बर 5697 है से सिंचाई कर रहे है। वादग्रस्त भूमियां पूर्व में हाल कृषि भूमियां खसरा नम्बर 5689, 5688 जिसक साबिक खसरा नम्बर 2895 का अंश थी, जिनकी सिंचाई कूप साबिक खसरा नम्बर 2896 जिसके हाल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर 5697 से होती है, लेकिन साबिक पैमाईश के दौरान साबिक खसरा नम्बर 2895 का रकबा काट कर उत्तरी हिस्सा साबिक खसरा नम्बर 2903 की पूर्वी हिस्सा रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कभी भी ढाणी नहीं रहा ना ही आज है। विवादित भूमियां वादीगण की पुश्तैनी भूमियां रही है तथा वादीगण ही एकमात्र काबिज काश्तकार है जो कि पुश्तैनी रुप से उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त विवादित भूमियों में वादीगण संख्या 1 लगा 4 का हिस्सा 1/2 भाग व वादीगण संख्या 5 लगा 7 का हिस्सा 3/8 भाग व वादीगण संख्या 8 लगा 12 का हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त विवादित आराजीयात वादीगण कि पुश्तैनी रुप से कब्जे काश्त में रही है इसलिए वादीगण को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अन्यथा वादीगण के साथ अन्याय होगा तथा विवाद उत्पन्न होंगे।

हमने प्रकरण में वादीगण की बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम होकर खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक प्रतिबंधित भूमि होने एवं राजकीय लोकदायीत्व का निर्वहन करते हुए राजहित में वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :– 74/2017

उनवान

1. मुरली पुत्र प्रभात
2. गंगाराम पुत्र प्रभात
3. अर्जुनलाल पुत्र प्रभात
4. गोपाल पुत्र प्रभात
5. भैरु पुत्र नारायण
6. नन्छू पुत्र नारायण
7. भगवान सहाय पुत्र नारायण
8. राकेश पुत्र सुगलचन्द
9. उपराव पुत्र सुगलचन्द
10. मन्जू पुत्री सुगलचन्द
11. राजू पुत्र सुगलचन्द
12. कस्तुरी पत्नी स्व0 सुगलचन्द पुत्र नारायण
    समस्त जातियान् अहीर, निवासीयान ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत खेजरोली, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जरिये सचिव ग्राम पंचायत खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती अभिलेख व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 27.11.2024

मुकदमा नं0:–74/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक [illegible] राजकीय लोकदायीत्व का निर्वहन करते हुए राजहित में वादी का वाद पोषणीय नहीं [illegible] के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलि[illegible] तक .... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.11.2024 को जारी किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–74/2017
उनवान– मुरली बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 27.11.2024

मोहर

दस्तखत

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	1	3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner